झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय-(बजट)सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,गुरुवार,दिनांक- 28 फाल्गुन,1936 (श0) / 19 मार्च ,2015 (ई0) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
'क'(68)-	अ0सू0-06	श्री विरंची नारायण।	दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई।	कल्याण	01.03.15
'ख'(71)-	अ0सू0-04	श्री दीपक बिरुआ	राशि खर्च करना।	कल्याण	28.02.15
'ग'(72)-	अ0सू0-17	श्री प्रदीप यादव	अनियमितता की सी0बी0आई0 जाँच।	उर्जा	04.03.15
(144)-	अ0सू0- 07	श्री विरंची नारायण	योजना का कियान्वयन।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	01.03.15
(145)-	अ0सू0- 06	श्री राधाकृष्ण किशोर	चीनी उपलब्ध कराना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	01.03.15
(146)-	अ0सू0- 12	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	कृषि पाठशाला की व्यवस्था।	कृषि एवं पशुपालन।	03.03.15
(147)-	अ0सू0- 20	श्री नारायण दास	धान क्रय-विक्रय कराना।	सहकारिता।	12.03.15
(148)-	अ0सू0- 10	श्री राधाकृष्ण किशोर	बजट राशि का प्रावधान।	जल संसाधन।	03.03.15

कृ0पृ0उ0-

01	02	03	04	05	06
(149)-	अ०सू०-21	श्री अमित कुमार	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	कल्याण।	12.03.15
(150)-	अ०सू०-19	श्री योगेश्वर महतो	नियम बनाना।	जल संसाधन।	11.03.15

नोटः- अल्पसूचित प्रश्न आदेश पत्र संख्या-'क'-58,'ख'-71,ग-72 दिनांक-12.03.2015 से सदन द्वारा स्थगित।

राँची
दिनांकः-19 मार्च,2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-06/15-1305/वि०स०,राँची,दिनांकः-16 मार्च,2015 ई०।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरुचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-:-प्रश्न-06/15-1305/वि०स०,राँची,दिनांकः-16 मार्च,2015 ई०।

प्रतिलिपि :-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय झारखण्ड विधान सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

(गुरुचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई ।

'क' 68. श्री बिरंची नारायण--क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2014 15 में लगभग 250 करोड़ रुपये के अनुदान राशि का प्रावधान किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण राज्य को उक्त योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ा;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

कुल 216.48 करोड़ (दो सौ सोलह करोड़ अड़तालीस लाख) रु० भारत सरकार द्वारा आवंटित ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

भारत सरकार से विमुक्त राशि के आलोक में योजना कार्यान्वयन की कार्रवाई की जा रही है ।

(3) उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

राशि खर्च करना ।

'ख' 71. श्री दीपक त्रिस्वा--क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के समुदायिक विकास हेतु वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 में क्रमशः 69 करोड़ तथा 77 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने संविधान की धारा 275 (1) के तहत् कल्याण विभाग को अनुदान दिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि 2011-12 में निर्गत राशि का डी०सी० बिल एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं होने के कारण वर्ष 2014-15 में दी गई केन्द्रीय अनुदान की (राशि) निकासी पर कोषागार पदाधिकारियों ने रोक लगा देने से विकास योजनायें प्रभावित हो रही हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोषागार द्वारा केन्द्रीय अनुदान की राशि पर लगाई गई रोक पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए विकास हेतु राशि खर्च करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक ।

निम्न प्रकार आवंटन प्राप्त हुआ है :-

वर्ष		राशि
2011-12	-	8331.00 लाख रुपये
2012-13	-	6995.60 लाख रुपये
2014-15	-	7404.75 लाख रुपये

(2) अस्वीकारात्मक ।

राशि की निकासी कोषागार से कर ली गई है । योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

(3) विकास हेतु राशि खर्च की जा रही है ।

अनियमितता की सी०बी०आई० जाँच ।

'ग' 72. श्री प्रदीप यादव --क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 2013 में सिकिदिरी हाईडल पावर का जीर्णोद्धार दो करोड़ रुपये के बदले 22 करोड़ खर्च किये गये;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वित्तीय अनियमितता के आलोक में सी०बी०आई० ने संलिप्त पदाधिकारियों से पूछताछ की है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस पूरे अनियमितता की जाँच सी०बी०आई० से कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) अस्वीकारात्मक है ।

वर्ष 2012 (रिकार्ड के आधार पर) में बी०एच०ई०एल० के द्वारा सिकिदिरी परियोजना का Capital overhaul (R&M)/schedule maintenance हेतु निर्गत कार्यादेश की राशि रु० 20.8/ करोड़ (कर अतिरिक्त) अंकित है ।

(2) सी०बी०आई० द्वारा उक्त विषय से संबंधित मामले में कुछ पदाधिकारियों से पूछताछ की गई है ।

(3) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त तकनीकी वित्तीय अंकेक्षण प्रतिवेदन (Techno Financial Audit Report) की सी०बी०आई० द्वारा जाँच जारी है । उक्त विषय पर सी०बी०आई० से अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है ।

योजना का क्रियान्वयन ।

144. श्री विरंची नारायण क्या मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों को अनुदानित दर पर चीनी उपलब्ध कराने संबंधी संकल्प पारित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए अनुदानित चीनी का मासिक कोटा 6948 टन निर्धारित किया गया था एवं गरीबों को सस्ती चीनी उपलब्ध कराने हेतु 103.45 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गयी थी;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत चीनी वितरण हेतु टेंडर को विधि विभाग द्वारा स्वीकृत करने के बावजूद संबंधित टेंडर जारी नहीं किए जाने के कारण पूरे वित्त वर्ष में चीनी वितरण की योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस लापरवाही के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने तथा आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना का समुचित क्रियान्वयन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए अनुदानित चीनी का कोटा निर्धारित था । परन्तु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 50.38 करोड़ रुपये का ही बजट प्रावधान किया गया है ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) वर्ष 2014 में निर्वाचन एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण एवं तदोपरान्त भारत सरकार द्वारा राज्यों को चीनी की दर निर्धारित करने का अधिकार दिये जाने के कारण निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है । भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार इस योजना के स्वरूप में परिवर्तन करना पड़ा है । सरकार द्वारा अप्रैल 2015 से चीनी वितरण योजना का क्रियान्वयन करने का प्रयास किया जा रहा है ।

चीनी उपलब्ध कराना ।

145. श्री राधाकृष्ण किशोर--क्या मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई 'सस्ते दर पर चीनी' योजना 25 फरवरी, 2015 तक सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश में लागू नहीं की गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि उपभोक्ताओं को प्रति किलोग्राम किस दर और कब तक सस्ती चीनी उपलब्ध कराना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री

(1) स्वीकारात्मक ।

(2) सरकार का प्रयास है कि माह अप्रैल 2015 से बी०पी०एल० (अन्त्योदय एवं अतिरिक्त बी०पी०एल० सहित) लाभुकों को चीनी उपलब्ध कराया जाय । चीनी की दर निविदा के उपरान्त तय की जायेगी ।

146

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-19.03.2015 को पूछा जानेवाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-12 का उत्तर प्रतिवेदन:-

उत्तरदाता :- माननीय मंत्री, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह सही बात है कि झारखण्ड राज्य के लोग खेती पर ही निर्भर है तथा इनका मुख्य जीवकोपार्जन का साधन कृषि है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि कृषकों को हमेशा सभी फसलों के लिए प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है ;	विभाग द्वारा इच्छुक कृषकों को आवश्यकतानुसार प्रचलित फसलों के लिए समय-समय पर आत्मा कार्यक्रम के तहत प्रखण्ड/ जिलास्तर/ राज्यस्तर पर उपलब्ध निधि के अनुसार प्रशिक्षण/परिभ्रमण की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कभी-कभी कैम्प लगाकर कुछ गिनेचुने किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है ;	Sub Mission of Agricultural Extension के तहत प्रत्येक जिला में संचालित आत्मा कार्यालय के द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रशिक्षण (अन्तर सजकीय ,राजकीय एवं जिला अन्तर्गत),प्रत्यक्षण (कृषि, कृषि संबंद्ध), परिभ्रमण (अन्तर राजकीय, राजकीय एवं जिला अन्तर्गत) किसान मेला, कृषक वैज्ञानिक अन्तर मिलन, प्रक्षेत्र दिवस/किसान गोष्ठी तथा प्रत्येक प्रखण्ड के औसतन 3-4 कृषक पाठशाला संचालित किये जाने का कार्यक्रम राज्य प्रसार योजना में सम्मिलित है, जिसका कार्यान्वयन उपलब्ध निधि एवं आवंटन के अनुसार जिला स्तर पर आत्मा के तहत किया जा रहा है।
4	यदि उपरोक्त अंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के सभी पंचायत मुख्यालय में कृषि पाठशाला की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका-3 में स्पत स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

ज्ञापांक-09/कृ0वि0स0प्र0-12/2015- 877 राँची/दिनांक- 17-03-15

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची उनके ज्ञाप सं0-644/ वि0स0, दिनांक-03.03.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.15

(राम प्रसाद साव)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-09/कृ0वि0स0प्र0-12/2015- 877 राँची/दिनांक- 17-03-15

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव,कोषागार, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/

(147)

श्री नारायण दास, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 20 का उत्तर सामग्री–

क्र०	प्रश्न क्या मंत्री, सहकारिता विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग का उत्तर:–
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित बैद्यनाथन समिति की सिफारिश को राज्य सरकार ने पूर्णतः लागू किया है।	स्वीकारात्मक। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित बैद्यनाथन समिति की सिफारिश को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.05.2008 को पूर्णतः लागू कर दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त समिति के अनुशंसा के आलोक में लैम्पस/पैक्स में पंचायत स्तर पर समिति का गठन किया गया है।	अस्वीकारात्मक। बैद्यनाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में लैम्पस/पैक्स का पंचायत स्तर पर गठन नहीं किया गया है। राज्य हित में सरकार के निर्णय के आलोक में सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 73 दिनांक 09.01.2013 के आलोक में झारखण्ड राज्य के प्रत्येक पंचायत में लैम्पस/पैक्स के गठन की स्वीकृति दी गई है, जिस आधार पर 3053 लैम्पस/पैक्स का गठन पंचायत स्तर पर किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के पंचायत स्थित समिति में आधारभूत संरचना तथा सरकारी अनुदान, कार्यशील पूंजी, हिस्सा पूंजी आदि का आजतक पूरा नहीं किया गया है, जिससे लैम्पस/पैक्स का कार्य शिथिल पड़ी है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 55 लैम्पस/पैक्स को कार्यशील पूंजी, 54 लैम्पस/पैक्स को गोदाम निर्माण एवं आधारभूत संरचना मद में मो0 5,94,68,519.00 रूपये उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में गठित लैम्पस/पैक्स के लिए उपबंधित राशि रू0 1200.00 लाख है। महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उक्त राशि से 112 लैम्पस/पैक्स को गोदाम निर्माण/कार्यशील पूंजी एवं आधारभूत संरचना मद में राशि उपलब्ध करायी जायेगी एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में मो0 1120.00 लाख रूपये बजटीय उपबंध है। पंचायत स्थित सभी लैम्पस/पैक्स को 0.50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 643 दिनांक 19.02.2014 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी उपायुक्त, झारखण्ड को 0.50 एकड़ जमीन गोदाम निर्माण इत्यादि हेतु उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। साथ ही निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 625 दिनांक 07.03.2014 द्वारा भी सभी उपायुक्त को भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

628
17/03/15

4.	क्या यह बात सही है कि सरकार इस वर्ष कृषकों से धान की क्रय विक्रय नहीं कर रही है जो कृषक के हित में नहीं है;	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित है।
5.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलंब वैद्यनाथन समिति की सिफारिश के आलोक में आधारभूत संरचना को मजबूत करने तथा कृषक से धान क्रय–विक्रय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	(क) वैद्यनाथन समिति की सिफारिश के आलोक में आधारभूत संरचना को मजबूत करने का कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु राज्य सरकार के स्तर से आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। (ख) धान अधिप्राप्ति खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित है।

ह0/–
(बन्धना कुल्लू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

ज्ञापांक– 7/पत्तन सह0 (धान अधि0)अल्पसूचित–06/2015 628 /राँची, दिनांक– 17/03/2015

प्रतिलिपि–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या 1119 दिनांक 12.03.2015 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बन्धना कुल्लू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

148

माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–19.03.2015 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में कुल 29 लाख हेक्टेयर सिंचाई योग्य भूमि के विरुद्ध दिसम्बर, 2014 तक 8.71 लाख हेक्टेयर अर्थात् 30 प्रतिशत में सिंचाई क्षमता उपलब्ध है;	वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत दिसम्बर 2014 तक कुल 8.94 लाख हे० सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सका है;
2. क्या यह बात सही है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् 2017 तक वर्त्तमान सिंचाई क्षमता 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत अर्थात् 5.79 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना है,	12वीं पंचवर्षीय योजना में वृहद मध्यम सिंचाई योजना से 5.13 लाख हे० एवं लघु सिंचाई योजना से 2.47 लाख हे०, कुल 7.60 लाख हे० अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 15.36 लाख हे० सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्यक्रम है जो अधिकतम सिंचाई क्षमता 24.59 लाख हे० का 62.5% है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि वर्ष 2015–16 व 2016–17 में बजट राशि का प्रावधान कर किन योजनाओं के माध्यम से 5.79 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजन करना चाहती है?	12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित की जाने वाली अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की योजनावार विवरणी संलग्न है। वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित बजट में इन योजनाओं के लिए 2005 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2016–17 के बजट के संबंध में अभी कोई आँकड़े उपलब्ध कराना संभव नहीं है;

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 6/ज0स0वि0–10 अ०सू०–02/2015:– 1589 राँची, दिनांक– 17-3-15

प्रतिलिपि – परिशिष्ट की प्रति सहित, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक सं0 प्र0–637/वि0 स0, राँची दिनांक–03.03.15 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉंके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०– यथावत्।

17.03.2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची

(149)

श्री अमित कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 19.03.2015 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि सिल्ली में आदिवासी छात्रावास का निर्माण किया गया है जिसमें अवैध रूप से निजी विद्यालय चलाया जाता है ?	अस्वीकारात्मक। सिल्ली प्रखण्ड अन्तर्गत आदिवासी छात्रावास भवन का निर्माण कराया गया है। उपायुक्त राँची के पत्रांक–2630 दिनांक–24.07.12 द्वारा अस्थाई रूप से दो वर्षों के लिए DAV School संचालन हेतु क्षेत्रीय निदेशक को दिया गया था। उपायुक्त राँची के पत्रांक–1266 दिनाक–07.05.14 एवं पत्रांक–537 दिनांक–25.02.15 द्वारा छात्रावास भवन को खाली करने का निदेश दिया गया है, किंतु अब–तक छात्रावास भवन खाली नहीं किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली के पत्रांक–197 दिनांक–18.03.15 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में DAV School चल रहा है, जिसमें KG-I से VII तक के 400 से अधिक छात्र–छात्राएँ पढ़ रहे हैं।
2	क्या यह बात सही है खंड (1) में वर्णित छात्रावास पर अवैध रूप से तीरंदाजी प्रशिक्षुओं का कब्जा है ?	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली के प्रतिवेदन के अनुसार तीरंदाजी का प्रशिक्षण एवं फुटबाल का प्रशिक्षण 2010 से चल रहा है, वर्तमान में प्रशिक्षकों की संख्या 70 से अधिक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त छात्रावास को आदिवासी छात्रों को आवंटित करने के साथ–साथ दोषी व्यक्तियों तथा पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	छात्रावास खाली करने हेतु कार्रवाई की जा रही है, छात्रावास खाली होते ही आदिवासी छात्रों को छात्रावास आवंटित करने की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग

ज्ञापांक–6/वि0स0–42/15 786

राँची, दिनांक– 18/03/15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1134 दिनांक 12.03.15 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.3.15

(नुरुल होदा)
सरकार के उप सचिव।

(150)

श्री योगेश्वर महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक-19-03-15 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड प्रदेश में जल संचय की उचित व्यवस्था के अभाव में प्राकृतिक जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है ;	स्वीकरात्मक
2	क्या यह बात सही है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाये गये आहर, पोखर एवं बाँध जल संचय का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो रख-रखाव के अभाव में मिट्टी से भर कर उथला हो जाने से जल संचय की क्षमता खो दिया है, जो जल स्तर के गिरने का वजह है ;	स्वीकरात्मक
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बाँध-पोखर निर्माण के लिए गैरमजरूआ जमीन की अनिवार्यता को खत्म कर पूर्वजों के द्वारा बनाये गये रैयती जमीन में अवस्थित बाँध-पोखर के जीर्णोद्धार के लिए नियम बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग द्वारा सरकारी योजनाओं का ही जीर्णोद्धार कार्य कराने का प्रावधान है। रैयतो की जमीन पर अवस्थित सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार का प्रावधान नहीं है। रैयती जमीन पर अवस्थित योजनाओं के निर्माण/जीर्णोद्धार के पूर्व रैयती भूमि का राज्यपाल के नाम से विधिवत दान पत्र दिया जाना आवश्यक है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक: 3/जा०स०वि० 1040सू०-03/15 - 1405 राँची, दिनांक- 18.03.15

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक-982 दिनांक-11.03.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉंके, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव(अभि.)
जल संसाधन विभाग, राँची